"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–2)" की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 21.06.2022 समय 12.00 दोपहर

जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.05.2022 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–2)"** द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 02/1994 लीज क्षेत्र 16.60 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1138316 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 45000 TPA निकट ग्राम देवपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 277 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/षिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.03.2019 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एंव उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिव कुमार लखारा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई. आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक "ब"** के अनुसार हैं।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायतें रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना ने पूछा कि ब्लास्टिंग जो माईन्स पर होती है उसका क्या टाईम रहता है :–

ब्लास्टिंग का हमारा जनरल टाईम शिफ्ट चेन्ज होने पर रहता है। हम दो शिफ्टों में काम करते है। 2.00 बजे जो शिफ्ट चेन्ज होती है। दोपहर 1:30 शिफ्ट खत्म हो जाती है। दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच हमारे यहां नो मेन ऐपीरियन्स यानि मेन एपीरियन्स नहीं रहती है उस पीरियड के अन्दर 1:30 से 2:00 बजे के बीच हम काम करते है । सक्सेना साहब द्वारा पूछा गया कि कोई शिकायत तो नहीं आती है इस पर कम्पनी हेड श्री पालीवाल ने बताया कि इन जनरल अभी तक कोई शिकायत ब्लास्टिंग को लेकर नहीं है कोई शिकायत नहीं है कारण यह कि ब्लास्टिंग ऐरिया गांव से दूर है एवं दूसरी बात यह है कि हम ब्लास्टिंग टेक्नोलोजी का जो यूज कर रहे है वह लेटेस्ट वाली टेक्नोलोजी का यूज कर रहे है।

ये जो पांच माईन्स हैं उसमें से हमारी लीज 2 की ही चल रही है बाकी 3 की लीज 10–12 साल से बन्द है। यह तीसरा अभी प्रजेन्टेशन है वो माईन्स सन् 2008 से डिस कन्टीन्यू है । हम वेट कर रहे है इनवायरमेंट क्लीयरियेन्स की।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना जो ने पूछा कि यह जो आप प्लान्टेशन करते है इसके सरवाईवल के लिये पानी कहा से आता है। इस पर श्री मोहनलाल पालीवाल, कम्पनी हेड ने बताया कि पानी के लिये ईश्वर की कृपा से हमारे यहां टीडी नदी नजदीक है। हमारे यहां टयुब वेल्स है वेल्स है। हमारे यहां पर वाटर टेंकर्स चल रहे है, वाटर टेंकर से पानी सप्लाई करते है।

1. <u>श्री राजकुमार मारू, निवासी देवपुरा :–</u>

मैं प्रशासन से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि डीएमएफटी फण्ड से जो भी यहां पर माईनिंग से रेवन्यू होती है वो उसी पंचायत में लगे अन्य गांव–पंचायत में नहीं लगे।

सेकण्ड पुलिया में भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां भोरेया फला है वहां नदी बहुत बहती है। छोटे–छोटे बच्चे और ग्रामवासी आते है अगर प्रशासन के बणते वहां पर पुलिया या रोप बन जाये तो खड़े रहने के लिए तो भी एक सुविधा बन जाए ।

बाकी माईन्स की जो सुविधा है वह गांव को मिलती भी है। एम्बुलेन्स की कोरोना काल में कुछ उपकरण भी भेंट किये थे।

श्री राज कुमार, मारू ने मांग रखी कि होस्पीटल से फेक्ट्री तक डामरीकरण ऐसा हो जाए तो भी।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री एम.एल.पालीवाल माईन्स हेडः— आप के प्रश्न में दो बात आ रही है आपकी प्रथम जहां तक डीएमएफटी जो सरकार को फण्ड जाता है यहां का वो यहां यूज हो यह हमारे हाथ में नहीं है वो (प्रशासन) उसका डिसिजन करते है। हम हमारे लेवल पर डिसिजन नही कर सकते है। दूसरा जहां तक हमारे से मुतल्लिक, माईन्स से मुतल्लिक कोई इस तरह की बात हो कोई छोटा—मोटा राउण्ड का एरिया बनाना हो। हम बिना किसी हिचकिचाहट के कर देंगे आप बता दीजिएगा आकर कि इतना टुकड़ा ——— करना है, इतना टुकडा अपग्रेड करना है, हम उसको कर देंगे।

श्री पालीवाल, माईन्स हेड ने बताया कि आपको माईन्स कोई उम्मीद हो तो हमारे माईन्स मेनेजर, असिस्टेन्ट मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट में आकर बात कर सकते है।

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ठ "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "द"** मे सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "य"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर—(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला—उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नकः1

मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–2), सोप स्टोन माईन्स, (एम.एल.नं. 02/1994, क्षैत्रफल–16.60 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1138316 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 45000 TPA निकट ग्राम–देवपुरा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 21.06.2022 को 12:00 PM बजे मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–2), सोप स्टोन माईन्स, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O.P. Bunkar	ADM, Udaipur	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RPCB Udaipur	[signature]
3	Prem Chand Lohar	T.D.R. SARADA	[signature]
4	Dr. Aditi Solanki	SO, RPCB Udaipur	[signature]
5	Mohan Paliwal	ASDCPL	[signature]
6	B.S. Yadav	ASDCO P Ltd	[signature]
7	माणक चन्द जैन	पेंशनर (शिक्षा) देवपुरा	[signature]
8	[illegible]लाल चिबोडा	देवपुरा देवपुरा	[signature]
9	वरदी चन्द जैन	देवपुरा देवपुरा	[signature]
10	प्रकाश [illegible]	रा.उ.मा.वि. देवपुरा	[signature]
11	महेन्द्र मीणा	देवपुरा	[signature]
12	प्रताप मीणा	देवपुरा	[signature]
13	[illegible]	देवपुरा	[signature]
14	सोहनलाल मीणा	काडडी, देवपुरा	[signature]
15	बद्रीलाल खराड़ी	भरोयाफला	[signature]
16	पुंजा लाल मीणा	भरोयाफला	[signature]
17	श्यामलाल सुरववाल	EGCIPL-Udaipur	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	Dr. Neeru Shrivastava	EGCIPL - Udaipur	[signature]
19	Anil Kumar Jain	GSSS Devpura	[signature]
20	Jeevat Ram	गाँव कोटिला	[signature]
21	[illegible]	देवपुरा	[signature]
22	श्यामलाल	देवपुरा	[signature]
23	चोरवाराम	देवपुरा	चोरवाराम
24	[illegible]	देवपुरा	[signature]
25	[illegible]	ASDC, देवपुरा	[signature]
26	[illegible]	A.S.D.C. Devpura	[signature]
27	नरेश चौधरी	ASDC Devpura	[signature]
28	[illegible]	देवपुरा	[signature]
29	[illegible]	देवपुरा	[signature]
30	राजु - [illegible]	[illegible], देवपुरा	राजु
31	Sandarsh Kumar C.	Sr. Manager ASDC Pvt Ltd	[signature] 21/06/2022
32.	Mahendra Kumar Saini	Sr. Mining Engineer	Mahendra
33	केशुराव	[illegible]	केशुराव
34	लक्ष्मण [illegible]	[illegible]	[signature]
35	चोरवा	देवपुरा	[signature]
36	पवन [illegible]	[illegible]	[signature]
37	देवाराम	देवपुरा	[signature]
38	Krishnajeet Jain	Devapura	Krishnajeet
39	Devendra Singh Ranawat	Devapura	Devendra
40	शंकर [illegible]	[illegible]	शंकर
41	[illegible]	[illegible]	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	सवजी	देवपुरा	सवजी
	शर्मा		शर्मा
	गानजी		
	लक्ष्मण	लक्ष्मण	
	वेला	कतीला	वेला
	लक्ष्मण	देवपुरा	लक्ष्मण
	कचरा	धावड़िया	
	Mayank Bhavsar	EGCIPL, Udaipur	
	[illegible]	EGCIPL, Udaipur	
	Zakir Hussain	—"—"—	
	Prem Prakash	Devpura	
	Shiv Kumar Rathore	EGCIPL, Udaipur	

सेवा मे

श्री मान जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

RO
आ/1
21/6/2022

विषय - गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदय जी

सविनय निवेदन है ग्राम खासडरा वार्ड नं. 9 में गोलछा माइन्स की वजह से हमारे गांव में आंगनवाड़ी छत, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावें। से भारी साधन चलने से रोड भी खस्ता हालत में है आने जाने में राहगीर व ग्रामवासीयों को दिक्कत होती है अतः रोड का कार्य दुरस्त कराने का श्रम करवावें गोलछा माइन्स के मलबा से खेतीबाड़ी में नुकसान होता है राहत दिलाने का श्रम करवावें। हमारे गांव में माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावे।

नर्मदा
हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत-पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गोपी लाल
सोहन
रितेश
पन्नालाल
गोपीलाल
कन्हैयालाल
नारायण
रामा
सुरज
Sundaal
रमेलाल
गोपाल
रविना
आशा
श्याम लाल
मीरा
उदमा
मोनिका लक्ष्मी
सुनीता
केसरी
लक्ष्मी
लीला
लक्ष्मी
मनिषा
शान्ती लाल
नाथी
निरमा
शान्ता
हकरी
सुन्दरी
अटली
धर्मी
हकरी
गीता
सुगना

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदयजी
जिला - उदयपुर - राज.

Received
Pursuing Public
hearing
21.6.2022

विषयः - ग्राम देवपुरा मे बिलानाम जमीन की लीज करवा कर वृक्षारोपण हेतु जमीन ली थी जो आज व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है जो पुन सरकारी जमीन घोषित की जावे

महोदयजी

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नम्र निवेदन है कि पूर्व मे सरकारी शिविर के माध्यम से श्री शान्तिलाल s/o हीराचन्द जैन श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा ने वृक्षारोपण हेतु जमीन लीज करवाकर यह जमीन व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है अत: यह लीज खत्म कर वापस सरकारी जमीन घोषित करवाने की कष्ट करावे

दिनांक:- 21-06-2022

Rakesh
विनित

राकेश कुमार मीणा
उप सरपंच देवपुरा